सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-399/BR/7/2022-APCR Date : 08.08.2024

सेवा मे,

श्री जीतेंद्र कुमार
पुलिस अधीक्षक,
जिला कटिहार -,
समाहरणालय कटिहार,
कटिहार, बिहार 854109
Email Id: sp-katihar-bih@nic.in

विषय: **अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा करने, मारपीट करने एवं जातिगत गाली गलोच करने के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जातिअनुसूचित / जनजाति (अत्याचार निवारणअधिनियम (, 1989 के तहत कार्यवाही नही किए जाने के बारे मे श्री मंसूर मुर्मु, जिला कटिहार का अभ्यावेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री मंसूर मुर्मु,
पिता स्व° ढेना मुर्मु
सा° सिरकटट, थाना बरारी,
जिला कटिहार, बिहार

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-399/BR/7/2022-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o the Superintendent of Police, District – Katihar, Bihar

Shri Jitendra Kumar, Superintendent of Police, Katihar, Bihar

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. NCST/ATY-399/BR/7/2022-APCR

जमीन के विवाद के संबंध में श्री मंसूर मुर्मु, पिता स्व° ढेना मुर्मु सा° सिरकट्टा, थाना बरारी, जिला कटिहार, बिहार की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

****

सुनवाई की तिथि : 11.06.2024, 12:20 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

****

श्री मंसूर मुर्मु, पिता स्व° ढेना मुर्मु, सा°- सिरकट्टा, थाना- बरारी, जिला- कटिहार, बिहार से दिनांक 24.11.2021 की आयोग में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी 2 एकड़ जमीन पर गाँव के कुछ लोगो ने जबरन कब्जा कर लिया एवं उनके साथ मार पीट कर गाली गलोच की गई। जिसकी शिकायत प्रार्थी ने बरारी पुलिस थाने मे दिनांक 15.11.2021 को दर्ज कराई थी परंतु पुलिस कर्मियों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी ने इस मामले में आयोग से मदद का अनुरोध किया है।

2. आयोग द्वारा इस मामले को पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार को नोटिस दिनांक 06.05.2022 को भेजा गया था और 30 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी। जिसके सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नही हुए।

5. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होने बताया की उन्होने 16 लोगों के विरूध्ध चार्जशीट 30.01.2022 को कोर्ट में दायर कर दी है। और प्रार्थी को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
2. आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
3. एलआरडीसी को नोटिस दिया जाए।
4. 48C, Bihar Tenancy Act की अनुपालना की जाए।
5. SC/ST(PoA) अधिनियम के सेक्शन 4 की अनुपालना करें। तथा जांच अधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
6. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।
7. कार्रवाई रिपोर्ट 60 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY- 399/BR/7/2022-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from Superintendent of Police, Katihar, Bihar

Shri Jitendra Kumar

Superintendent of Police